

प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट में 2008-2013 की अवधि के लिए भारतीय रेल में अस्पताल प्रबंधन की समीक्षा के परिणाम निहित हैं।

इस रिपोर्ट में शामिल दृष्टांत वे हैं जो समीक्षा के दौरान पाये गये तथा साथ-साथ जिसे पूर्व के वर्षों में देखा गया लेकिन पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में रिपोर्ट नहीं किया जा सका; 2013-14 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है, जहाँ भी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर रेल मंत्रालय से प्राप्त सहयोग पर आभार व्यक्त करता है।